संख्या-17/2016/665/38-4-16-15(बजट)/2015

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2016

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 के लाभार्थियों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष-2016-17 के अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2015-16, दिनांक-17 अप्रैल, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष-2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष जनपदों को द्वितीय किश्त की अवमुक्ति हेतु अनुदान सं0-13 में धनराशि रू0-50334.94 लाख को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2016-17 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-136093.41 लाख में से आपके प्रस्तवानुसार धनराशि रू0-50334.94 लाख (रूपये पॉच अरब तीन करोड़ चौतीस लाख चौरानवे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत हैं।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जाएगा।

(3)- स्वीकृत धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016 /बी-1-746/दस-2016-231/ 2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4)- स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखी जायेगी तथा 03 माह के अन्दर निश्चित रूप से व्यय कर ली जायेगी ।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(6)- उक्त धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब योजनान्तर्गत ग्रामों के चयनित लाभार्थियों की सूची मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(8)- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से व्यय कर लिया जायेगा ।

(9)- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(10)- जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-03-लोहिया ग्रामीण आवास योजना-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-512/2016, दिनांक-27 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 17/2016/665(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- समस्त जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
14- वैभागिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in